उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-8/148/एक-1-2017-5(30)/2016

लखनऊ: दिनाँक: 19 मई, 2017

अधिसूचना

जिलाधिकारी, श्रावस्ती के पत्र संख्या-2048/डी0एल0आर0सी0/2016, दिनाँक 26.05.2016 द्वारा डिक्यूंग काग्यो इंस्टीटयूट सोसाइटी जंगहुबलिंग कुल्हन-सहस्त्रधारा, देहरादून, उत्तराखण्ड की जनपद श्रावस्ती तहसील इकौना के नाम ग्राम खरगूपुर स्थित भूमि गाटा 141मि0 रकबा 0.037 हे0 का ग्राम सभा चकमार्ग की भूमि गाटा संख्या 140 रकबा 0.037 हे0 के विनिमय का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2. जिलाधिकारी, श्रावस्ती के प्रस्ताव/संस्तुति के आलोक में लोक प्रयोजन की भूमि चकमार्ग का श्रेणी परिवर्तन व विनिमय व्यापक जनहित के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन 2012) की धारा-77 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल ग्राम खरगूपुर तहसील इकौना जनपद श्रावस्ती स्थित लोक प्रयोजन की भूमि चकमार्ग गाटा 140मि0 रकबा 0.037 हे0 ग्राम सभा की भूमि का संस्था के नाम दर्ज भूमि गाटा संख्या 141 रकबा 0.037 के श्रेणी परिवर्तन किये जाने एवं धारा 101 की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन स:शुल्क विनिमय किये जाने की सहर्ष अनुमति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

(1) ग्राम खरगूपुर स्थित चकमार्ग भूमि का श्रेणी परिवर्तन विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत केवल भगवान बुद्व की तपोस्थली श्रावस्ती में स्तूप एवं तीर्थ यात्रियों व उपासकों व बौद्व भिक्षुओं के निवास हेतु धर्मशाला के निर्माण हेतु किया जा रहा है।

(2) डिक्यूंग काग्यो इंस्टीटयूट सोसाइटी जंगहुबलिंग कुल्हन-सहस्त्रधारा से लोक प्रयोजन भूमि के श्रेणी का परिवर्तन हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का 25 प्रतिशत धनराशि/शुल्क निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराया जायेगा।

(3) जिलाधिकारी, श्रावस्ती यह सुनिश्चित करेंगे कि चकमार्ग भूमि के श्रेणी परिवर्तन से ग्रामवासियों के आवागमन में कोई व्यवधान उत्पन्न न हों।

(4) लोक प्रयोजन चकमार्ग की भूमि गाटा संख्या 140मि0 रकबा 0.037 हे0 के बदले ग्राम खरगूपुर परगना व तहसील इकौना में स्थित संस्था की भूमि गाटा संख्या 141मि0 रकबा 0.037 हे0 से विनिमय किया जायेगा।

(5) चकमार्ग संख्या 444 से जुड़ने हेतु संस्था ग्राम चकभण्डार में स्थित गाटा संख्या 458 में से पश्चिम की तरफ, उत्तर-दक्षिण में 350 कड़ीX10 कड़ी व पूरब-पश्चिम मे 100 कड़ीX10 कड़ी अर्थात कुल लम्बाई 450 कड़ीX10 कड़ी (90X2 मीटर) क्षेत्रफल 0.018 हे0 तथा पूरब तरफ उत्तर-दक्षिण में 350 कड़ीX10 कड़ी (70X2 मीटर) क्षेत्रफल 0.014 हे0 यानि संस्था द्वारा ग्राम

shasanadesh.up.nic.in

खरगूपुर में स्थित चकमार्ग गाटा संख्या 140 को ग्राम चकभण्डार में स्थित चकमार्ग गाटा संख्या 444 से जोड़ने हेतु अपनी भूमि गाटा संख्या 458 से कुल 0.032 हे0 अतिरिक्त भूमि दान में दिया जायेगा। दान में दी गयी उक्त भूमि का उपयोग ग्रामवासियों द्वारा आवागमन के रूप में किया जायेगा। संस्था द्वारा ग्रामवासियों के आवागमन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं की जायेगी।

(6) लोक प्रयोजन की भूमि का श्रेणी परिवर्तन तथा विनिमय का आदेश प्राप्त होने पर कलेक्टर द्वारा अधिकार अभिलेख (खतौनी) व मानचित्र में तदनुसार संशोधन की कार्यवाही 15 दिन में पूर्ण की जायेगी।

3. उक्त सभी शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन कलेक्टर, श्रावस्ती द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

आज्ञा से,

अरविन्द कुमार

प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-148(1)/एक-1-2017-5(30)/2016 तददिनाँक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. आयुक्त, देवीपाटन मण्डल, देवीपाटन।
3. जिलाधिकारी, श्रावस्ती ।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश सगर)

विशेष सचिव।

shasanadesh.up.nic.in